भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250886

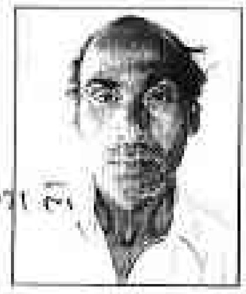

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	मोहनलालगंज
3.	ग्राम	:	पहाड़नगर टिकरिया
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–338
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.613 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि

তারিখ
মূল্য
নাম
ঠিকানা

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250887

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 31,52,500/-
11.	मालियत	:	रू0 9,19,500/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 1,57,650/-

चौहद्दी

खसरा न0 338

पूरब	: खसरा संख्या-356, 359, 360
पश्चिम	: खसरा संख्या-229, 241
उत्तर	: खसरा संख्या-342
दक्षिण	: खसरा संख्या-337

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250888

प्रथम पक्ष की संख्या–01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
मैकूलाल पुत्र भागू, निवासी–पहाड़ नगर टिकरिया, परगना व तहसील– मोहनलालगंज, जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी–ग्राम मजासा, तहसील–मलिहाबाद, जिला–लखनऊ । व्यवसाय–कृषि

मैकूलाल

मनोज कुमार

১৩/০৩/১১

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250889

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख मैकूलाल पुत्र भागू निवासी–पहाड़ नगर टिकरिया, परगना व तहसील– मोहनलालगंज, जिला लखनऊ , जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी–ग्राम मजासा, तहसील–मलिहाबाद, जिला–लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible]

9/3/07

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250890

यह कि विक्रेता **कृषि भूमि खसरा संख्या–338 रकबा 0.613 हेक्टेअर, स्थित– ग्राम–पहाड़ नगर टिकरिया, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ** का मालिक कामिल व काबिज है उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो उन्हें वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00130 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी

२३।०३।११

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 250891

में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरूरत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 31,52,500/- (रूपया इकतीस लाख बावन हजार पाँच सौ मात्र) में **क्रेता उपरोक्त** को बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की

[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 326527

तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कही विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 362608

15 FEB 2011

वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

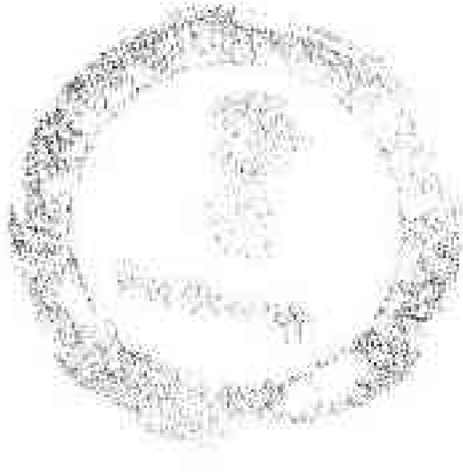

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 36260

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी ग्राम–पहाड़ नगर टिकरिया, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ में स्थित है जो कि उपजिला मोहनलालगंज की राजस्व सीमान्तर्गत नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्र

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 922862

को छोड़कर आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों (श्रेणी-2) के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 15,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.613 हेक्टेअर मालियत रू0 9,19,500/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाम्प शुल्क 1,57,650/- के अदा किया जा रहा है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

प्रमाणित
दिनांक [illegible]
शुल्क [illegible]
कारण [illegible]
द्वारा [illegible]
हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 044255

विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. रू0 31,52,500/- (रूपया इकतीस लाख बावन हजार पाँच सौ मात्र) द्वारा चेक संख्या - 293875 दिनांक 23.03. 2011 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

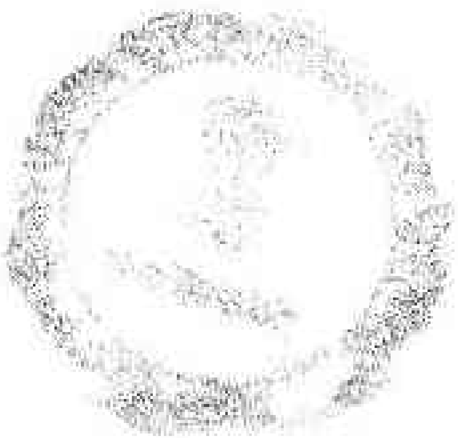

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 415297

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 31,52,500/– (रुपया इकतीस लाख बावन हजार पाँच सौ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

[illegible]

अशोक कुमार (प्रभारी)

[illegible]

अशोक कुमार (प्रभारी)

[illegible]

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-11पर चेक संख्या काले पैन से लिखा गया है।

दिनांक :23.03.2011

लखनऊ

गवाहान:-

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता:

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:

(मोहित मिश्रा)

एडवोकेट,

[illegible]

Registration No. [illegible] Year [illegible] Book No. 1

[illegible]

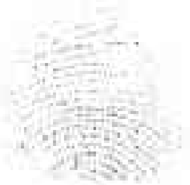

नक्शा नजरी

खसरा सं० 338

ग्राम→ पहाड़ नगर टिकरिया

विक्रेता→ भैंकूलाल पुत्र भग्गू

क्रेता→ मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम

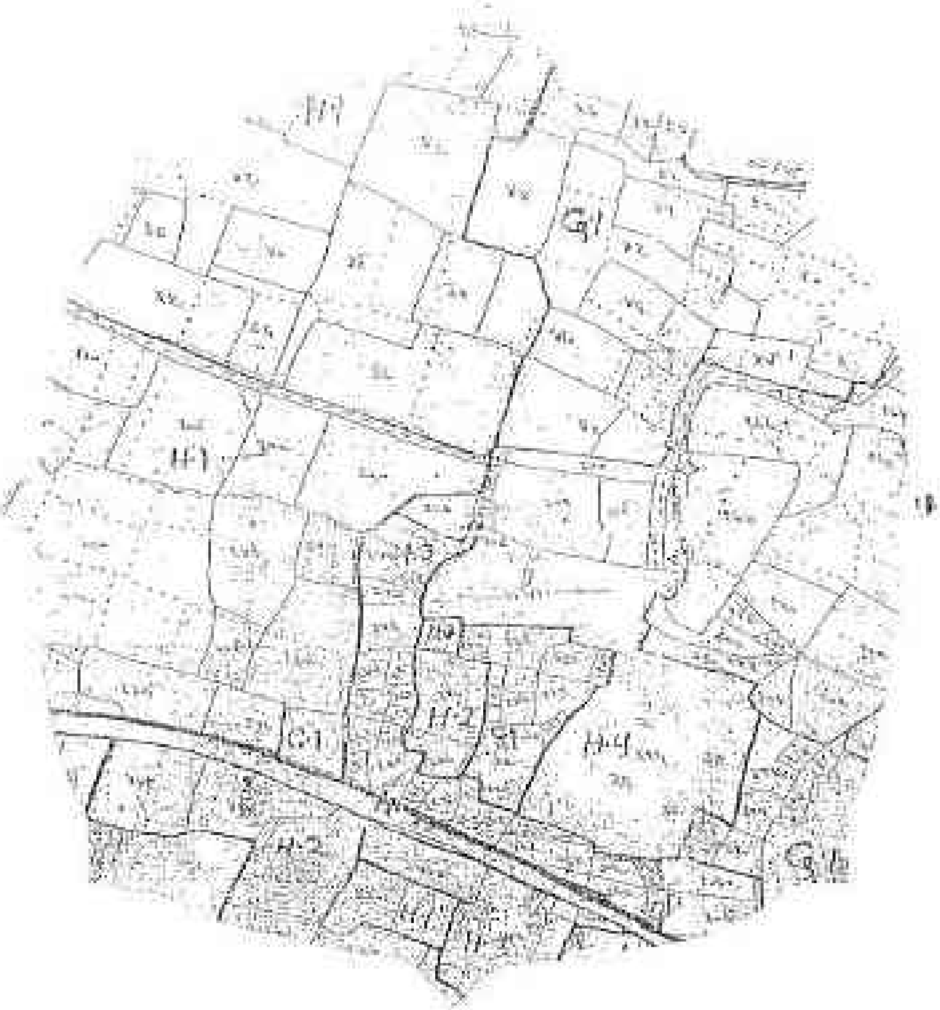

भैंकूलाल

विक्रेता

मनोज कुमार

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पताः- मैकूलाल पुत्र भागु निवासी-पहाड़ नगर टिकरिया, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

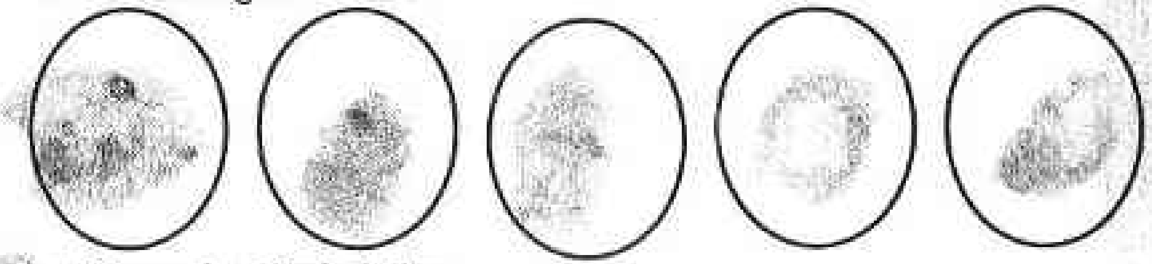

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

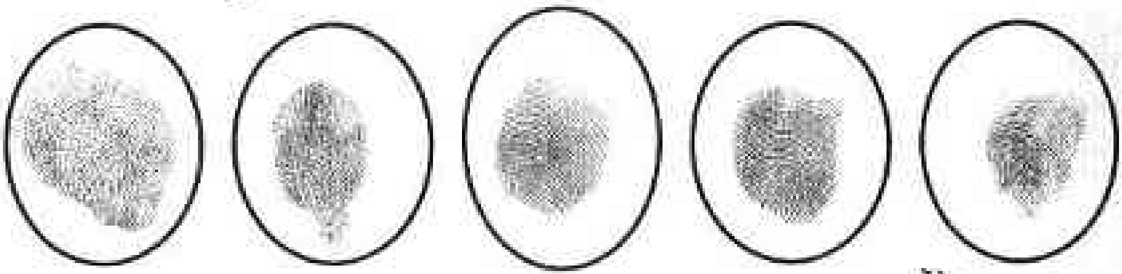

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी-ग्राम मजासा, तहसील-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

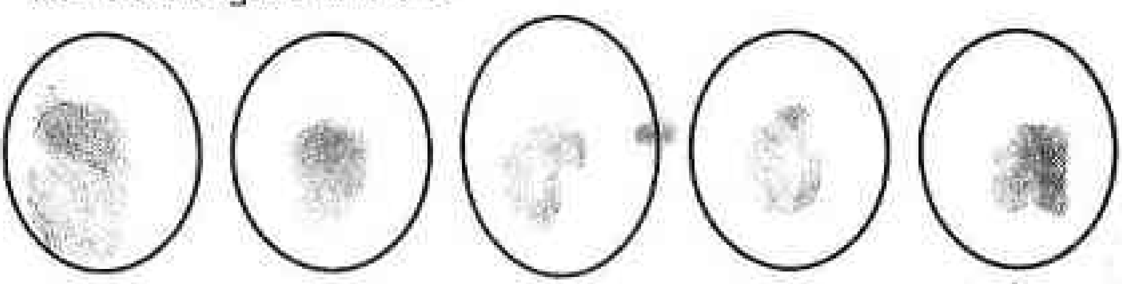

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 23/03/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 2409

पृष्ठ सं. 97 से 126 पर क्रमांक 1948

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

[illegible]

अशोक कुमार (प्रभारी)

उ.पं. [illegible]

रायगढ़

23/03/2011